रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1970/कार्तिक 11, 1892

No. 179] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1970/KARTIKA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd November 1970

SUBJECT.—*Allotment of canalised items of raw materials to units engaged in the Drugs and Pharmaceutical industry—April* 1970—*March* 1971.

No. 160-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Section III of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1970—March 1971 which contains the list of items, the import of which is canalised through the State Trading agencies. As laid down in the said Section III, the import of specified drugs and medicines/chemicals is canalised through the S.T.C. and release orders in respect of these items will be issued by the licensing authorities concerned on the S.T.C.

2. The position has been reviewed and it has been decided that the release orders in respect of drugs and medicines/chemicals as mentioned in the Annexure I to this Public Notice will be issued to actual users (both large and small scale) covering their yearly requirements by the State Drugs Control authorities instead of the licensing authorities. In the case of items mentioned in Annexure II to this Public Notice, release orders will be issued on the S.T.C. while for the remaining items as indicated in Annexure III to this Public Notice, release orders will be issued on the Indian Drugs and Pharmaceutical Ltd. The actual users should, therefore, approach State Drugs Control authorities concerned direct for meeting their requirements of canalised items on yearly basis during the period April 1970—March 1971.

3. Applications for release orders for these items should be made to the State Drugs Control authorities indicating the c.i.f. value of consumption of each of these items separately for the past two years *viz.* 1968-69 and 1969-70. The statement of consumption should be certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant (who holds a certificate from the Institute of Cost and Works Accountants of India). No application fees are required to be paid.

4. Applications for import of other items of drugs and medicines/chemicals required by the actual users engaged in the manufacture of drugs and pharmaceuticals, may be made separately to the licensing authorities in the prescribed form and manner. The applicants should not include the consumption of the items appearing in the Annexure I to this Public Notice. The existing units which have already made their applications for items including any of those appearing in the Annexure I to this Public Notice, should furnish a revised statement of consumption after excluding the c.i.f. value of consumption in respect of items given in Annexure I to this Public Notice.

5. The import policy and procedure in respect of items appearing in the Annexure I to this Public Notice for the period April 1970—March 1971 may be deemed to have been amended accordingly.

ANNEXURE I

1. Thiamaine Morconitrate & Hydrochloride (Vitamin B_1)
2. Riboflavine & Riboflavine (Vitamin B_2) and Riboflavine 5-Phosphate Sodium.
3. Folic acid.
4. Sulphathiazole.
5. Sulphadiazine.
6. Sulphadimidine (Sulphamethazine).
7. Amidopyrine.
8. Analgin.
9. Phenobarbitone.
10. Piperazine and its salts.
11. Chloramphenicol—Powder
 Palmitate
 Succinate
12. Streptomycine sulphate.
13. Tetracycline base and Tetracycline hydrochloride.
14. 3 and 4 Cyano-Pyridines.
15. Meta-Amino phenol.

ANNEXURE II

1. Thiamaine Mononitrate & Hydrochloride (Vitamin B_1).
2. Vitamin B_2 (Riboflavine).
3. Folic Acid.
4. Sulphadimidine (Sulphamethazine).
5. Amidopyrine.
6. Analgin.

7. Phenobarbitone.
8. Piperazine and its salts.
9. Streptomycin sulphate.
10. Tetracycline base and Tetracycline hydrochloride.

ANNEXURE III

1. Sulphadiazine.
2. Chloramphenicol—Powder
 Palmitate
 Succinate
3. Riboflavine-5-Phosphate Sodium.
4. 3 and 4 Cynopyridines.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1970

विषय: औषध तथा भेषजीय उद्योग में लगी हुई एकों के लिए कच्चे माल की सरणी-बद्ध मदों के आवंटन – अप्रैल, 1970 –मार्च, 1971

सं० 160—आई० टी० सी० (पी० एम०) /70 अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक– वालूम 1) के भाग 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उन मदों की सूची निहित है जिनका आयात राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है। उक्त भाग 3 में निर्धारित किये गये के अनुसार, निर्दिष्ट औषधियों तथा दवाइयों / रसायनों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम स सरणीबद्ध किया जाता है तथा इन मदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा राज्य व्यापार निगम को रिहाई आदेश जारी किये जाएंगे।

2. स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है तथा यह निश्चय किया गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 1 में उल्लिखित भेषज तथा दवाइयों /रसायनों के सम्बन्ध में रिहाई आदेश, वास्तविक, उपभोक्ताओं (बड़े तथा छोटे पैमाने उद्योग दोनों) को उनकी वार्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, लाइसेंस प्राधिकारियों के बजाय, राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाएंगे। इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 2 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में रिहाई आदेश राज्य व्यापार निगम को जारी किये जाएंगे जबकि इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 3 में निर्दिष्ट शेष मदों के लिए रिहाई आदेश इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल लि० को जारी किये जाएंगे। अतः अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर सरणीबद्ध मदों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वास्तविक उपयोक्ताओं को सीधे सम्बधित राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों के पास पहुंचना चाहिये।

3. इन मदों के रिहाई आदेश के लिये आवेदन-पत्र, इनकी प्रत्येक मद का पिछले दो वर्षों अर्थात् 19/68-69 तथा 1969-70 में लागत-बीमा भाड़ा मुल्य का अलग अलग उपभोग निर्दिष्ट करते हुए राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों को भेजने चाहिये। उपभोग का ब्यौरा सनदी लेखापाल अथवा लागत लेखापाल (जिसके पास भारत के लागत तथा निर्माण लेखापाल संस्थान का प्रमाण पत्र हो।) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये। आवेदन पत्र के लिये, कोई शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

4. भेषजों तथा स्वास्थकों के निर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये भेषज तथा दवाइयों/रसायनों की अन्य आवश्यक मदों के आयात के लिये आवेदन पत्र अलग से विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने चाहिये। आवेदकों को इस सार्वजनिक सूचना के अनबन्ध 1 में प्रदर्शित मदों के उपभोग को सम्मिलित नहीं करना चाहिये। वर्तमान एकक, जिन्होंने इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 1 में मदों में शामिल की गई किसी मद के लिये पहले ही अपने आवेदन पत्र भेजे हैं, उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 1 में दी गई मदों के सम्बन्ध में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के उपभोग को निकालने के बाद, अपने उपभोग का एक परिशोधित ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

5. इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 1 में दिखाई गई मदों के सम्बन्ध में अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 अवधि के लिये आयात नीति तथा क्रियाविधि को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

अनुबन्ध 1

1. थियामेन मोनोनाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी)।
2. रिबोफ्लेविन तथा रिबोफ्लेविन (विटामिन बी 2) तथा रिबोफ्लेविन 5 फोसफेट सोडियम।
3. फोलिक अम्ल।
4. सल्फाथिआजल
5. सल्फाडिआजिन
6. सल्फाडिमिडिन (सल्फामिथाजाइन)
7. एमिडोपाइरीन।
8. एनालजिन।
9. फैनोबरबिटोन।
10. पिपरजिइन तथा इसके नमक।
11. क्लोरमफैनिकाल-पाउडर।
 पामिटेट।
 सक्सिनेट।
12. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट।
13. टैट्रासाइक्लिन बेस तथा टैट्रासाइक्लिन हाईड्रोक्लोराइड।
14. 3 तथा 4 सायनो-पैरिडिन।
15. मैटा-एमिनो फिनल।

अनुबन्ध 2

1. थियामीन मोनोनाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 1)
2. विटामिन बी 2 (रिबोफ्लेविन)
3. फोलिक अम्ल ।
4. सल्फाडिमिडिन (सल्फा मिथाजिन)
5. एमिडोपाइरिन
6. एनलजिन ।
7. फिनोबार्बीटोन ।
8. पिपराजिन तथा इसके लवण ।
9. स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ।
10. टेट्रामाइक्लिन बेस तथा टेट्रामाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ।

अनुबन्ध 3

1. सल्फाडायजिन ।
2. क्लोरमफेनिकाल-पाल्मिटेट
 सक्सिनेट
3. रिबोफ्लेविन–5– फास्फेट सोडियम
4. 3 तथा 4 म इनोपिरिडिन ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970